



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-27022021-225535

CG-DL-W-27022021-225535

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 9] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 27—मार्च 5, 2021 (फाल्गुन 8, 1942)

No. 9] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27—MARCH 5, 2021 (PHALGUNA 8, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 8 सितंबर 2020

सं. के-13029/01/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (1) श्रीमती मंजरी नेहरू कौल, (2) हरसिमरन सिंह सेठी, (3) अरुण मोंगा, (4) मनोज बजाज, (5) ललित बत्तरा, (6) अरूण कुमार त्यागी, और (7) हरनरेश सिंग गिल को उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13014/07/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री (1) श्रीराम मधुसूदन मोडक, (2) जमादार निजामोद्दीन जहीरोद्दीन, (3) विनय गजानन जोशी, और (4) अवचट राजेन्द्र गोविंद को उनके अपने-अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 10 सितंबर 2020

सं. के-13022/02/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखंड उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री (1) संजय कुमार द्विवेदी, (2) दीपक रौशन को उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं.-13024/01/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केरल उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री (1) वी.जी. अरुण, (2) एन. नगेश, (3) टी.वी. अनिलकुमार, और (4) एन. अनिल कुमार को उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 11 सितंबर 2020

सं. के.-13012/04/2019-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व/श्री (1) संजय कुमार पचौरी, (2) सुभाष चन्द्र शर्मा, (3) सुभाष चन्द्र, और (4) श्रीमती सरोज यादव को वरिष्ठता के इस क्रम में उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के.-13029/03/2019-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री राजेश भारद्वाज को उनके अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 16 सितंबर 2020

सं. के-11019/07/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय लाम्बा के सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, गोहाटी उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति नोंगमैकापम कोटीश्वर सिंह को 21 सितंबर, 2020 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 22 सितंबर 2020

सं. के-11019/07/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार मित्तल के सेवानिवृत्त हो जाने के परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजय यादव को 30 सितंबर, 2020 से उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 24 सितंबर, 2020

सं. के-13012/03/2019-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति वीरेन्द्र कुमार II को उनके अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13015/03/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री (1) मुहम्मद निज़ामुद्दीन, (2) तीर्थकर घोष, (3) हिरणमय भट्टाचार्य, (4) सौगत भट्टाचार्य, और (5) मनोजीत मंडल को उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 1 अक्टूबर 2020

सं. के-13019/01/2019-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (1) श्रीमती वैभव देवांग नाणावटी, सर्व/श्री (2) निर्झरकुमार सुशीलकुमार देसाइ, और (3) निखील श्रीधरन केरीयल को वरिष्ठता के क्रम में उनके अपने-अपने पद का प्रभार संभालने की तिथि से गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 5 नवंबर 2020

सं. के-13018/02/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (1) संजय कुमार मेधि, और (2) नानी तागया को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13018/03/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गोहाटी उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मनीश चौधुरी को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से गोहाटी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 17 नवंबर 2020

सं. के-13012/04/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश सर्व/श्री न्यायमूर्ति (1) प्रकाश पाडिया, (2) आलोक माथुर, (3) पंकज भाटिया, (4) सौरभ लवानिया, (5) विवेक वर्मा, (6) संजय कुमार सिंह, (7) पियूष अग्रवाल, (8) सौरभ श्याम शमशेरी, (9) जसप्रीत सिंह, (10) राजीव सिंह, (11) श्रीमती मंजू रानी चौहान, (12) करुणेश सिंह पवार, (13) डॉ. योगेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (14) मनीष माथुर, (15) रोहित रंजन अग्रवाल, (16) राम कृष्ण गौतम, (17) उमेश कुमार, (18) प्रदीप कुमार श्रीवास्तव, (19) अनिल कुमार-IX, (20) राजेन्द्र कुमार-IV, (21) सु. फ़ैज़ आलम खाँ, (22) विकास कुँवर श्रीवास्तव, (23) वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, (24) सुरेश कुमार गुप्त, (25) सुश्री घंडिकोट श्री देवी, (26) नरेन्द्र कुमार जौहरी, (27) राजबीर सिंह, और (28) अजीत सिंह को अपने-अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 01 दिसंबर 2020

सं. के-13026/01/2019-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व/श्री (1) गोविंदराजुलु चंद्रसेखरन, (2) अ.अ. नक्कीरन, (3) वीरासामि शिवज्ञानम, (4) गणेशन इलंगोवन, और (5), श्रीमती आनंति शुब्रमणियन को इसी वरिष्ठता क्रम में मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

सर्व/श्री (1) गोविंदराजुलु चंद्रसेखरन, (2) अ.अ. नक्कीरन, (3) वीरासामि शिवज्ञानम, और (4) गणेशन इलंगोवन की नियुक्ति अपने-अपने कार्यालयों में अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। परंतु, श्रीमती आनंति शुब्रमणियन की नियुक्ति की अवधि, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 30 जुलाई, 2022 तक के लिए होगी।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/03/2019-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सर्व/श्री (1) श्रीमती कन्नम्माल रानमुगा सुन्दरम, (2) सति कुमार सुकुमारा कुरूप, (3) मुरली शंकर कुप्पुराजु, (4) सुश्री मंजुला रामराजू नल्लैया, और (5), श्रीमती तमिलसेलवीति वलयपालयम को इसी वरिष्ठता क्रम में मद्रास उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

सर्व/श्री सति कुमार सुकुमारा कुरूप, मुरली शंकर कुप्पुराजु, सुश्री मंजुला रामराजू नल्लैया, और श्रीमती तमिलसेलवीति वलयपालयम की नियुक्ति अपने-अपने कार्यालयों में अपना पदभार ग्रहण करने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के लिए होगी। परंतु, श्रीमती कन्नम्माल रानमुगा सुन्दरम की नियुक्ति की अवधि, उनके पदभार ग्रहण करने की तारीख से 19 जुलाई, 2022 तक के लिए होगी।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 8 दिसंबर, 2020

सं. के-11019/07/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सांझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कुमारी गीता मित्तल की सेवानिवृत्त के पश्चात्, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सांझा उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजेश बिन्दल को उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय के प्रभार संभालने की तिथि 09 दिसंबर, 2020 से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सांझा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 31 दिसंबर 2020

सं. के-11019/07/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अमरेश्वर प्रताप साही की सेवानिवृत्त के पश्चात् 01 जनवरी, 2021 से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री संजीव बनार्जी के मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने तक, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के कार्यालय के कर्तव्यों को देखने के लिए नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13012/06/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजय यादव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13013/01/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13013/02/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति जयमाल्य बागचि को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13015/06/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सांझा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राजेश बिन्दल को कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13019/01/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति विनीत कोठारी को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13020/03/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति रवि विजयकुमार मलिमठ को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13021/02/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पंकज मिश्र को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के सांझा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13023/07/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सतीश चन्द्र शर्मा को कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13025/03/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13026/04/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति संजीव बनार्जी को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13027/01/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश डॉ. न्यायमूर्ति एस. मुरलीधर को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13031/01/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार माहेश्वरी को सिक्किम उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13032/02/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 222 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात्, तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित करते हैं और उन्हें उत्तराखंड उच्च न्यायालय में अपना पदभार ग्रहण करने का निदेश देते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

सं. के-13036/02/2020-यू.एस-I—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायाधीश कुमारी न्यायमूर्ति हिमा कोहली को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

दिनांक 7 जनवरी 2021

सं. के-13018/04/2020-यू.एस-II—राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को अपने पद के प्रभार संभालने की तिथि से गोहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं।

राजिन्द्र कश्यप, संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-01, दिनांक 11 फरवरी 2021

सं. I-18011/06/2019-आई0पी0एस0-4 (भाग)—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के राजस्थान संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं —

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री शैलेन्द्र सिंह इन्दोलिया, भा0पु0से0 (राजस्थान: 2017)	28.08.2019
2.	श्रीमती वंदिता राणा, भा0पु0से0 (राजस्थान: 2017)	18.12.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. I-18011/02/2021-आई0पी0एस0-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री वरुण सिंगला, भा0पु0से0 (हरियाण: 2017) को दिनांक 18.12.2019 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं ।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. I-18011/03/2021-आई0पी0एस0-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के बिहार संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री किरण कुमार गोरख जाधव, भा0पु0से0 (बिहार:2016)	19.12.2018
2.	श्री विनीत कुमार, भा0पु0से0 (बिहार:2017)	18.12.2019
3.	श्री अम्बरीश राहुल, भा0पु0से0 (बिहार:2017)	18.12.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 12 फरवरी 2021

सं. I-18011/11/2020-आई0पी0एस0-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3—क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री प्रतीश कुमार, भा0पु0से0 (केरल: 2011) को दिनांक 01.10.2014 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं ।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 15 फरवरी 2021

सं. I-18011/04/2021-आई0पी0एस0-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के सिक्किम संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थाई करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री मनोज तिवारी, भा0पु0से0 (सिक्किम:2003)	01.09.2005
2.	श्री शिवा प्रसाद एल्लासिरि, भा0पु0से0 (सिक्किम:2011)	06.12.2015
3.	श्री मनीष कुमार वर्मा, भा0पु0से0 (सिक्किम:2015)	28.12.2017
4.	श्री वी.जी. सतीश पसुमरथी, भा0पु0से0 (सिक्किम:2016)	29.08.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 16 फरवरी 2021

सं. I-18011/02/2017-आईपीएस-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय पुलिस सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष उल्लिखित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं :—

क्र. सं.	परिवीक्षाधीन भा0पु0से0 अधिकारी का नाम	स्थायीकरण की तिथि
1.	श्री जितेन्द्र शुक्ला, भा0पु0से0 (छत्तीसगढ़:2013)	02.09.2015
2.	श्री मोहित गर्ग, भा0पु0से0 (छत्तीसगढ़:2013)	06.12.2015
3.	श्री अभिषेक पल्लवा, भा0पु0से0 (छत्तीसगढ़:2013)	06.12.2015
4.	श्री पटेल दिव्यांगकुमार लालजी भाई, भा0पु0से0 (छत्तीसगढ़:2014)	22.12.2016

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 17 फरवरी 2021

सं. आई-18012/08/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	श्रीमती गीता सिंह (च0सूची-2014)	06.10.2016
2	राजेश कुमार (च0सूची-2016)	03.05.2018
3	सुरेश्वर (च0सूची-2016)	03.05.2018
4	संजय सिंह (च0सूची-2016)	03.05.2018
5	श्रीमती राकेश पुष्कर (च0सूची-2017)	13.08.2019
6	कुलदीप नारायण (च0सूची-2017)	13.08.2019
7	सुरेन्द्र बहादुर (च0सूची-2017)	13.08.2019
8	राजीव नारायण मिश्र (च0सूची-2017)	13.08.2019
9	बिकाश कुमार बैद्य (च0सूची-2017)	13.08.2019

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 18 फरवरी 2021

सं. आई-18012/01/2021-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति सिक्किम संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को, प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तिथियों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्रम सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तिथि
1	एस.टी. भुटिआ (च0सूची-2010)	14.09.2012
2	सुश्री सारदा रानी लेप्चा (च0सूची-2010)	14.09.2012
3	भीम कुमार तमंग (च0सूची-2012)	21.01.2015
4	प्रवीन गुरुंग (च0सूची-2014)	13.03.2017
5	ठाकुर थापा (च0सूची-2014)	13.03.2017
6	तशी वांग्याल (च0सूची-2014)	13.03.2017
7	हरि प्रकाश क्षेत्री (च0सूची-2015)	19.10.2017
8	हेम राज राय (च0सूची-2016)	22.01.2019
9	प्रताप प्रधान (च0सूची-2017)	26.04.2020

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

दिनांक 19 फरवरी 2021

सं. I-18011/10/2017-आईपीएस-4—भारत के राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री पंडित राजेश उत्तमराव, भा0पु0से0 (ओडिशा:2007) को दिनांक 18.08.2009 से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं।

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-18012/02/2020-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति संयुक्त आगमूट संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को, उनके के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र. सं.	अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
1	लालहुलिआना फनाई (च0सूची-2016)	19.01.2019
2	एल0आर0 डिंगलिआना साइलो (च0सूची-2017)	25.03.2020
3	थॉमस जोडिंगलिआना (च0सूची-2017)	25.03.2020

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

सं. आई-18012/03/2021-आईपीएस-1—भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ संवर्ग को आवंटित भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित सदस्य को, उनके के सामने दर्शाई गई तारीख से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:—

अधिकारियों के नाम (सर्व श्री/सुश्री)	भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी किए जाने की तारीख
एम0एल0कोटवानी (च0सूची-2015)	25.10.2017

ए. के. सरन, निदेशक (पुलिस)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 2021

सं. 14013/03/2017-अ.भा.से.-III—कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी दिनांक 25 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना सं. 14013/03/2017-अ.भा.से.-III में आंशिक संशोधन करते हुए, उक्त अधिसूचना की क्रम सं. 7 और 11 में मध्य प्रदेश राज्य संवर्ग के डॉ. मसूद अख्तर और श्री आनंद कुमार शर्मा के बैच वर्ष को "2002" के स्थान पर वर्ष "2001" पढ़ा जाए।

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

सं. 14012/01/2020-अ.भा.से.-III— राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख (तारीखों) से भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थायी करते हैं:—

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
1.	आकाश छिकारा	छत्तीसगढ़	28.08.2019
2.	चंद्रकांत वर्मा	छत्तीसगढ़	28.08.2019
3.	मयंक चतुर्वेदी	छत्तीसगढ़	28.08.2019
4.	रोहित व्यास	छत्तीसगढ़	28.08.2019
5.	कुणाल दुदावत	छत्तीसगढ़	11.12.2019

क्र.सं.	अधिकारी का नाम (श्री/श्रीमती)	संवर्ग	स्थायीकरण की तारीख
6.	चंदिनी चंद्रन	त्रिपुरा	28.08.2019
7.	तारित कांति चक्रमा	त्रिपुरा	28.08.2019
8.	अभिलाष मिश्रा	मध्य प्रदेश	28.08.2019
9.	अंजू अरुण कुमार	मध्य प्रदेश	28.08.2019
10.	अंकिता धाकरे	मध्य प्रदेश	28.08.2019
11.	भारसत योगेश तुकाराम	मध्य प्रदेश	28.08.2019
12.	दिव्यांक सिंह	मध्य प्रदेश	28.08.2019
13.	गुरु प्रसाद	मध्य प्रदेश	28.08.2019
14.	कुमार सत्यम	मध्य प्रदेश	28.08.2019
15.	परीक्षित संजयराव जाड़े	मध्य प्रदेश	28.08.2019
16.	राहुल नामदेव धोते	मध्य प्रदेश	28.08.2019
17.	रोहित सिसोनिया	मध्य प्रदेश	28.08.2019
18.	शेर सिंह मीणा	मध्य प्रदेश	28.08.2019
19.	सोनावने सौरभ संजय	मध्य प्रदेश	28.08.2019
20.	विवेक कुमार	मध्य प्रदेश	28.08.2019
21.	कृष्ण कुमार	मणिपुर	28.08.2019
22.	महेश हीरालाल चौधरी	मणिपुर	28.08.2019
23.	शरत चंद्र अरोजू	मणिपुर	28.08.2019
24.	अविश्वंत पांडा	महाराष्ट्र	28.08.2019

संदीप कुमार सिन्हा, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय
[उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ) का कार्यालय]

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2021

सं. डी III/460/सी एफ-03/2019—भारत के राष्ट्रपति कोलकाता में कोरिया गणराज्य के मानद कौंसल के रूप में श्री शिव सिद्धान्त नारायण कौल की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता प्रदान करते हैं।

श्री शिव सिद्धान्त नारायण कौल के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम और सिक्किम राज्य होंगे, जिसका केंद्र कोलकाता होगा।

गौरव कुमार ठाकुर, उप प्रोतोकॉल प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय
(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 दिसंबर 2020

सं. ए-11017/1/2011-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश सं. 4/6/2018-सीएस-1 (डी) (पार्टी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री अशोक कुमार डोगरा, केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी, वित्तीय सेवाएँ विभाग को दिनांक 11.12.2020 के अपराह्न से दिनांक 31.12.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएँ विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 13 (123100-215900 रुपए) में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

(क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;

- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक निदेशक के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) सुश्री गरिमा सिंह और अन्य के द्वारा दायर ओए सं. 3278/2010 के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के द्वारा पारित दिनांक 9.5.2011 के आदेश तथा श्री रोहतास भानकर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर 2004 की सीए सं. 6046-6047 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.7.2014 के निर्णय के अनुरूप अवर सचिव तथा उप सचिव की चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना।
- (iv) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

सं. ए-11017/1/2011-स्थापना—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश सं. 4/6/2018-सीएस-1 (डी) (पार्ट) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री सेवा राम मेहर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा चयन ग्रेड (उप सचिव) अधिकारी, वित्तीय सेवाएं विभाग को दिनांक 11.12.2020 के अपराहन से दिनांक 31.12.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 13 (123100-215900 रुपए) में वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:

- (i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:
- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक निदेशक के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) सुश्री गरिमा सिंह और अन्य के द्वारा दायर ओए सं. 3278/2010 के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान पीठ के द्वारा पारित दिनांक 9.5.2011 के आदेश तथा श्री रोहतास भानकर और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर 2004 की सीए सं. 6046-6047 के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 15.7.2014 के निर्णय के अनुरूप अवर सचिव तथा उप सचिव की चयन सूची को अंतिम रूप दिया जाना।
- (iv) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

सं. ए-11017/1/2011-स्था. (पार्ट)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश सं. 4/5/2020-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-1 (अवर सचिव) अधिकारी, श्री कुलभूषण नैयर को दिनांक 11.12.2020 के अपराहन से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 12 (78800-209200 रुपए) में चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधधीन है:

- (i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

सं. ए-11017/1/2011-स्था.(पार्ट)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश सं. 4/5/2020-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी, श्री प्रमोद कुमार सिंह को दिनांक 11.12.2020 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 12 (78800-209200 रुपए) में चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

सं. ए-11017/1/2011-स्था.(पार्ट)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.12.2020 के आदेश सं. 4/5/2020-सीएस-1 (डी) के अनुसरण में राष्ट्रपति, वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के ग्रेड-I (अवर सचिव) अधिकारी, श्री ए. के. घोष को दिनांक 11.12.2020 के अपराह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 12 (78800-209200 रुपए) में चयन ग्रेड (उप सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;

- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

दिनांक 22 दिसंबर 2020

सं. ए-11017/1/2011-स्था.(पार्ट-2)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2020 के आदेश सं. 5/10/2020-सीएस.1(यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) की अनुभाग अधिकारी, श्रीमती सरोज देवी चौहान को वर्तमान रिक्ति के अनुसार, दिनांक 14.12.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (67700-208700 रुपए) में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।

(ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

(iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

सं. ए-11017/1/2011-स्था.(पार्ट-2)—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.12.2020 के आदेश सं. 5/10/2020-सीएस.1(यू) के अनुसरण में राष्ट्रपति वित्तीय सेवाएं विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के अनुभाग अधिकारी, श्री विनोद कुमार को वर्तमान रिक्ति के अनुसार, दिनांक 14.12.2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में पे मैट्रिक्स लेवल 11 (67700-208700 रुपए) में सीएसएस के ग्रेड-I (अवर सचिव) के पद पर पूर्णतः तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:

(i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:

- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 12.11.2018 के निर्णय के विरुद्ध एस. एन. जसरा तथा राज कुमार से संबंधित एसएलपी सं. 5724-5725/2019;
- (घ) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।

- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

राघव भट्ट, उप निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 11 जनवरी 2021

सं. ए-22012/9/2012-स्था.—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 24.12.2020 के आदेश सं. 6/2/2020-सीएस.1(एस) और व्यय विभाग के दिनांक 28.12.2020 के का. जा. सं. ए-12026/02/2020-सीएस के अनुसरण में राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के सहायक अनुभाग अधिकारी, श्री शैलेन्द्र कुमार को 28 दिसम्बर, 2020 के पूर्वाह्न से दिनांक 30.06.2021 तक की अवधि के लिए या पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वित्तीय सेवाएं विभाग में अनुभाग अधिकारी के पद पर तदर्थ आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त तदर्थ पदोन्नति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है :

- (i) तदर्थ पदोन्नति न्यायालय में लंबित निम्नलिखित मामलों के निर्णय पर आधारित होगी:
- (क) पंजाब और हरियाणा के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा सीडब्ल्यूपी सं. 13218/2009 के संबंध में दिनांक 15.7.2011 के अंतिम निर्णय एवं आदेश तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अन्य मामलों से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 30621/2011;
- (ख) अखिल भारतीय समानता मंच और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के द्वारा दायर रिट याचिका (सी) सं. 3490/2010 के संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 23.8.2017 के निर्णय से उत्पन्न एसएलपी (सी) सं. 31288/2017;
- (ग) न्यायालय में लंबित इससे संबंधित कोई अन्य मामले।
- (ii) तदर्थ आधार पर नियुक्ति से अधिकारी को अनिश्चितकाल तक उप सचिव के ग्रेड पर बने रहने या इस ग्रेड में नियमित पदोन्नति की चयन सूची में शामिल होने या इस ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (iii) तदर्थ आधार पर पदोन्नति को कोई कारण बताए बिना किसी भी समय पर निरस्त किया जा सकता है।

एस. के. झा, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 2021

सं. के-43011(16)/1/2021-एसईजेड (प्रशासन)—राष्ट्रपति, श्री प्रमोद कुमार को वाणिज्य विभाग के तहत सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन, नोएडा (ग्रुप "बी"— राजपत्रित वेतन लेवल-7) के रूप में 01.05.2019 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

सुमित कुमार सचान, अवर सचिव

सं. ए. 9/5/2014-एसईजेड—राष्ट्रपति, श्री प्रकाश चंद उपाध्याय को वाणिज्य विभाग के तहत सहायक विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक जोन, नोएडा (ग्रुप "बी"— राजपत्रित वेतन लेवल-7) के रूप में 30.04.2019 (पूर्वाह्न) से तीन वर्ष की अवधि या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त करते हैं।

सुमित कुमार सचान, अवर सचिव

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 फरवरी 2021

अधिसूचना सं 2/2021 (सं. 6/1737/1988/मा.स.वि.-I(पार्ट)/313)—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर, विदेश व्यापार महानिदेशालय में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार, श्री आर.पी. गोयल दिनांक 31.01.2021 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

संजय कुमार तिवारी, उप महानिदेशक

रसायन और उर्वरक मंत्रालय
(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 जनवरी 2021

सं. ए.-19011/21/2015-एच.आर.॥.(पीटी).—कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 11.01.2021 के आदेश संख्या 36/02/2020-ईओ (एसएम-1) के अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री धर्म पाल, आईएएस (यूटी: 1988) की उर्वरक विभाग में अपर सचिव के रूप में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को 12.01.2021 से आगे तीन महीने की अवधि अर्थात् 12.04.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक इनमें से जो पहले हो, के लिए बढ़ाते हैं।

तिलक राज, अवर सचिव

दिनांक 2 फरवरी 2021

सं. ए.-19011/05/2021—स्थापना—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 23.01.2021 के आदेश सं. 36/01/2021-ईओ (एसएम.) के अनुसरण में श्री राजेश कुमार चतुर्वेदी, आईएएस (एमपी: 87) को श्री छबिलेन्द्र राउल, आईएएस (पीबी: 85) के दिनांक 31.12.2020 (अपराहन) को सेवानिवृत्त होने पर उनके स्थान पर दिनांक 28.01.2021 (पूर्वाहन) से उर्वरक विभाग में सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

तिलक राज, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(बायोटेक्नोलॉजी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 1 फरवरी 2021

सं. ए- 31013/01/2020-स्था.—अपनी परीक्षा अवधि के सफल समापन के परिणामस्वरूप बायोटेक्नोलॉजी विभाग में कार्यरत डॉ. बन्दना प्रजापति को वैज्ञानिक 'सी' पद पर सातवें वेतन आयोग के लेवल 11 में दिनांक 24.06.2020 से नियमित किया जाता है।

भानुमति जी, उप सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 11 फरवरी 2021

सं. ए.-12025/107/2019-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ नीरज कुमार को दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ नीरज कुमार को राम मनोहर लोहिया अस्पताल, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

सं. ए.-12025/143/2020-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ मानसी वर्मा को दिनांक 18 सितम्बर, 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ मानसी वर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

सं. ए.-12025/237/2020-सीएचएस-1—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ॰ अंकित शर्मा को दिनांक 02 सितम्बर, 2020 के पूर्वाहन से आगामी आदेशों तक पी.बी.-3 के वेतनमान [15600-39100 रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन] (पूर्व-संशोधित) में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थाई रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ॰ अंकित शर्मा को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। वे दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर रहेंगे।

के. वेंकटेशन, अवर सचिव

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
(मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 4 फरवरी 2021

स. 2-21/2016-प्रशासन-V—राष्ट्रपति जी, श्री अय्युब ए.ई., जूनियर फिशिंग गियर टेक्नोलॉजिस्ट को फिशिंग गियर टेक्नोलॉजिस्ट (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय) के पद पर स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) (पूर्व पुनरीक्षित: पी.बी.-3 (15600-39100/- रुपये और ग्रेड वेतन 5400/- रुपये) के वेतनमान में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, में दिनांक 20-01-2020 से पदोन्नत करते हैं। यह पदोन्नति विशेष अनुमति याचिका (सी) संख्या 30621/2011 में भारत के उच्चतम न्यायालय के निर्णय के परिणाम के अधीन होगी।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

सं. 2-25/2017-प्रशासन-V—राष्ट्रपति जी, श्री महेश कुमार फरेजिया, निदेशक (इंजीनियरिंग) को उप महानिदेशक (इंजीनियरिंग) (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय) के पद पर स्तर-13 (123100-215900/- रुपये) (पूर्व पुनरीक्षित: पी.बी.-4 (37400-67000/- रुपये और ग्रेड वेतन 8700/- रुपये) के वेतनमान में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, में दिनांक 17-10-2018 से पदोन्नत करते हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

सं. 2-5/2019-प्रशासन-V—राष्ट्रपति जी, श्री एस.के. जायसवाल यांत्रिक मरीन इंजीनियर को निदेशक (इंजीनियरिंग), (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय) के पद पर स्तर-12 (78800-209200/- रुपये) (पूर्व पुनरीक्षित: पी.बी.-3 15600-39100/- रुपये और ग्रेड वेतन 7600/- रुपये) के वेतनमान में भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, में दिनांक 30.07.2020 से पदोन्नत करते हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

सं. 3-27/2019-प्रशासन-V—राष्ट्रपति जी, श्री के. मणिमारन, अनुदेशक (मरीन इंजीनियरी) को वरिष्ठ अनुदेशक (मरीन इंजीनियरी), (साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अनुसूचिवीय) के पद पर स्तर-10 (56100-177500/- रुपये) (पूर्व पुनरीक्षित: पी.बी.-3 15600-39100/- रुपये और ग्रेड वेतन 5400/- रुपये) के वेतनमान में मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, के अधीन केन्द्रीय मात्स्यिकी नॉटिकल तथा इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक 29-12-2020 पूर्वाह्न से पदोन्नत करते हैं।

खाम खान सुआन, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग
(भारी पानी बोर्ड)

मुंबई-400094, दिनांक 15 जनवरी 2021

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-बडौदा/2021/277—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती तृप्ती शेखर राणे, सहायक लेखाकार, भापाअके, मुंबई, को दिनांक 21.12.2020 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (बडौदा) में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 20 जनवरी 2021

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-कोटा/2021/365—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, कु. सरोज श्रीधर कदम, सहायक लेखाकार, भा.पा.अ. केन्द्र, मुंबई को दिनांक 26.12.2020 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (कोटा) में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी-III

सं. भापाबो/भर्ती/1(16)-मणुगुरु/2021/366—मुख्य कार्यकारी, भारी पानी बोर्ड, श्रीमती एम. उमा महेश्वरि, सहायक लेखाकार, बीएआरसीएफ, एनआरबी, कल्पाक्कम को दिनांक 28.12.2020 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 में भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु) में सहायक लेखा अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी-III

दिनांक 27 जनवरी 2021

सं. भापाबो/भर्ती/26(2)/460—भारत के राष्ट्रपति, भारी पानी बोर्ड (केन्द्रीय कार्यालय)/ भारी पानी संयंत्र (मणुगुरु/कोटा/बडौदा/तालचेर/थल), परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई के निम्नलिखित ग्रुप-ए अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्शाए गए पद पर एवं दर्शाई गई तारीख से आगामी आदेशों तक स्थायी रूप से नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	अधिकारी का नाम (डॉ./ श्री / श्रीमती / कु)	वर्तमान ग्रेड	इकाई / भापाबो/ भापासं	ग्रेड जिसमें स्थायी किया है	स्थायीकरण की तारीख
1.	रोहन बाजपेयी	वैज्ञा.अधि./सी	भापासं (बडौदा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2020
2.	बथुला शिव प्रसाद	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (बडौदा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2018
3.	कल्पज सुभेदार	वैज्ञा.अधि./सी	भापासं (बडौदा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2018
4.	मुदित कंसल	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (कोटा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2017

क्र. सं	अधिकारी का नाम (डॉ./ श्री / श्रीमती / कु)	वर्तमान ग्रेड	इकाई / भापाबो/ भापासं	ग्रेड जिसमें स्थायी किया है	स्थायीकरण की तारीख
5.	डोरी लाल	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (कोटा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2017
6.	ऋषि यादव	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (कोटा)	तकनीकी अधिकारी/ सी	06.09.2012
7.	हरीश वर्मा	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (कोटा)	तकनीकी अधिकारी/ सी	13.09.2012
8.	असद महमूद	वैज्ञा.अधि./सी	भापासं (कोटा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2018
9.	राजेंद्र कुमार सेनापति	वैज्ञा.अधि./सी	भापासं (कोटा)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2018
10.	मोलाबंटी सूर्य प्रकाश	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (म)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2014
11.	सिम्हाचलम डोल्लू	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (म)	तकनीकी अधिकारी/सी	20.09.2012
12.	डॉ. प्रगथी एम.	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (म)	वैज्ञा.अधि./सी	30.07.2015
13.	के. राजा राव	वैज्ञा.अधि./डी	भापासं (म)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2013
14.	अजय शिवशंकर यादव	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (म)	तकनीकी अधिकारी/ सी	16.12.2012
15.	राजु सुंकरी	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं(म)	तकनीकी अधिकारी/ सी	23.12.2012
16.	पद्मलता पिरंगी	तकनीकी अधिकारी/डी	भापासं (म)	तकनीकी अधिकारी/ सी	25.04.2015
17.	रणजीत सिंह	वैज्ञा.अधि./सी	भापाबो	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2019
18.	स्निग्धा चक्रवर्ती	वैज्ञा.अधि./सी	भापासं (तालचेर)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2018
19.	के. सी. नायक	वैज्ञा.अधि./ई	भापासं (तालचेर)	वैज्ञा.अधि./सी	01.09.2012
20.	अनुप्रीत चौबे	वैज्ञा.अधि./ सी	भापासं (थल)	वैज्ञा.अधि./सी	01.08.2019

जी. सेल्वकुमार, प्रशासन अधिकारी-III

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 11 फरवरी 2021

सं. ईआरबी-1/2020/2/2—रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के प्रमुख निजी सचिव (पीपीएस) ग्रेड अधिकारी श्री संजय सहगल को दिनांक 01.02.2021 (पूर्वाह्न) से पे बैंड-3 रु. 15,600-39,100/- + ग्रेड पे रु. 7,600/- (संशोधन पूर्व) में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा (आरबीएसएसएस) के वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव (सीनियर पीपीएस) के ग्रेड में पदोन्नत किया गया है।

सुशान्त कुमार मिश्रा, सचिव

स. ई(ओ) III-2020/आरएन/07—श्री गौतम राय, भारतीय रेलवे विद्युत इंजीनियरी सेवा के अधिकारी (जन्म तिथि: 09.09.1962, डीआईटीएस: 10.07.2007, लिऐन: पूर्व रेलवे) का रेल विकास निगम लिमिटेड में स्थाई समाह्न होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 12.10.2020 (पूर्वाह्न) से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

सुशान्त कुमार मिश्रा, सचिव

स. ई(ओ) III -2021/आरएन/14—श्रीमती स्मृति वर्मा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा के अधिकारी (जन्म तिथि: 01.03.1965, डीआईटीएस: 06.03.1989, लिऐन: मध्य रेलवे) का मुम्बई रेलवे विकास कॉर्पोरेशन (एम.आर.वी.सी.) में स्थाई समाह्न होने के परिणामस्वरूप उन्होंने 02.02.2021 से रेल सेवा से त्यागपत्र दे दिया है।

सुशान्त कुमार मिश्रा, सचिव

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 12th February 2021

No. F.20/2021-SCA (I)—The following Officers have retired from the service of this Registry on attaining the age of superannuation/voluntarily retirement with effect from the date mentioned against each:—

S. No.	Name & Designation	Date of Retirement
1	Shri Chander Mohan Upreti Assistant Registrar (Non-shorthand)	30.11.2020
2	Shri Rajesh Sharma Branch Officer/Court Master (Non-shorthand)	05.01.2021 (VRS)

DEEPAK JAIN, Registrar (Admn.I)

No. 20/2021-SCA (I)—The following Officers have retired from the service of this Registry on attaining the age of superannuation/voluntarily retirement with effect from the date mentioned against each:—

S.No.	Name & Designation	Date of Retirement
1	Ms. Rita Ahuja Assistant Registrar (Non-shorthand)	31.01.2021
2	Ms. Geeta Rani Pradhan Branch Officer/Court Master (Non-shorthand)	01.02.2021 (VRS)

DEEPAK JAIN, Registrar (Admn.I)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Department of Justice)

New Delhi-110 011, the 8th September 2020

No. K. 13029/01/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) Smt. Manjari Nehru Kaul, (ii) Harsimran Singh Sethi, (iii) Arun Monga, (iv) Manoj Bajaj (v) Lalit Batra (vi) Arun Kumar Tyagi, and (vii) Harnaresh Singh Gill, Additional Judges of the Punjab and Haryana High Court, to be Judges of the Punjab and Haryana High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 9th September 2020

No. K. 13014/07/2020-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (1) Shriram Madhusudan Modak, (2) Jamadar Nijamoddin Jahiroddin, (3) Vinay Gajanan Joshi, and (4) Avachat Rajendra Govind, Additional Judges of the Bombay High Court, to be Judges of the Bombay High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 10th September 2020

No. K. 13022/02/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (1) Sanjay Kumar Dwivedi and (2) Deepak Roshan, Additional Judges of the Jharkhand High Court, to be Judges of the Jharkhand High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13024/01/2020-US.I— In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (i) V.G. Arun, (ii) N. Nagaresh, (iii) T.V. AnilKumar, and (iv) N. Anil Kumar, Additional Judges of the Kerala High Court, to be Judges of the Kerala High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 11th September 2020

No. K.13012/04/2019-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri (1) Sanjay Kumar Pachori, (2) Subhash Chandra Sharma (3) Subhash Chand and (4) Smt. Saroj Yadav, to be Additional Judges of the Allahabad High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13029/03/2019-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Bhardwaj to be an Additional Judge of the Punjab and Haryana High Court, for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 16th September 2020

No. K-11019/07/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Nongmeikapan Kotiswar Singh, senior-most Judge of the Gauhati High Court, to perform the duties of the office of the Chief Justice of that High Court with effect from 21st September, 2020 consequent upon the retirement of Shri Justice Ajai Lamba, Chief Justice, Gauhati High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 22nd September 2020

No. K-11019/07/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sanjay Yadav, senior-most Judge of the Madhya Pradesh High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from 30th September, 2020 consequent upon the retirement of Shri Justice Ajay Kumar Mittal, Chief Justice, Madhya Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 24th September 2020

No. K. 13012/03/2019-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Virendra Kumar II, Additional Judge of the Allahabad High Court, to be a Judge of the Allahabad High Court with effect from the date he assumes charges of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13015/03/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (1) Md. Nizamuddin, (2) Tirthankar Ghosh, (3) Hiranmay Bhattacharyya, (4) Saugata Bhattacharyya, and (5) Manojit Mandal, Additional Judges of the Calcutta High Court, to be Judges of the Calcutta High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 1st October 2020

No. K. 13019/01/2019-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Smt. Vaibhavi Devang Nanavati S/Shri (2) Nirzarkumar Sushilkumar Desai and (3) Nikhil Shreedharan Kariel to be Judges of the Gujarat High Court, in that order of seniority, with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 5th November 2020

No.K.13018/02/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (1) Sanjay Kumar Medhi and (2) Nani Tagia, Additional Judges of the Gauhati High Court, to be Judges of the Gauhati High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No.K.13018/03/2020-US.II— In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Manish Choudhury, Additional Judge of the Gauhati High Court, to be a Judge of the Gauhati High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 17th November 2020

No.K.13012/04/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint S/Shri Justices (1) Prakash Padia, (2) Alok Mathur, (3) Pankaj Bhatia, (4) Saurabh Lavania, (5) Vivek Varma, (6) Sanjay Kumar Singh, (7) Piyush Agrawal, (8) Saurabh Shyam Shamshery, (9) Jaspreet Singh, (10) Rajeev Singh, (11) Smt. Manju Rani Chauhan, (12) Karunesh Singh Pawar, (13) Dr. Yogendra Kumar Srivastava, (14) Manish Mathur, (15) Rohit Ranjan Agarwal, (16) Ram Krishna Gautam, (17) Umesh Kumar, (18) Pradeep Kumar Srivastava, (19) Anil Kumar–IX, (20) Rajendra Kumar–IV, (21) Mohd. Faiz Alam Khan, (22) Vikas Kunvar Srivastav, (23) Virendra Kumar Srivastava, (24) Suresh Kumar Gupta, (25) Sushri Ghandikota Sri Devi (26) Narendra Kumar Johari, (27) Raj Beer Singh and (28) Ajit Singh, Additional Judges of the Allahabad High Court, to be Judges of the Allahabad High Court with effect from the date they assume charge of their respective offices.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 1st December 2020

No. K.13026/01/2019-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Govindarajulu Chandrasekharan, (2) A.A. Nakkiran, (3) Veerasamy Sivagnanam, (4) Ganesan Ilangovan, and (5) Smt. Ananthi Subramanian, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority.

The appointment of S/Shri (1) Govindarajulu Chandrasekharan, (2) A.A. Nakkiran, (3) Veerasamy Sivagnanam, and (4) Ganesan Ilangovan would be for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices. However, the period of appointment of Smt. Ananthi Subramanian, would be with effect from the date she assumes charge of her office till 30th July, 2022.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13026/03/2019-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Smt. Kannammal Shanmuga Sundaram, S/Shri (2) Sathi Kumar Sukumara Kurup, (3) Murali Shankar Kuppuraju, (4) Miss Manjula Ramaraju Nalliah, and (5) Smt. Thamilselvi T. Valayapalayam, to be Additional Judges of the Madras High Court, in that order of seniority.

The appointment of S/Shri Sathi Kumar Sukumara Kurup, Murali Shankar Kuppuraju, Miss Manjula Ramaraju Nalliah, and Smt. Thamilselvi T. Valayapalayam, would be for a period of two years with effect from the date they assume charge of their respective offices. However, the period of appointment of Smt. Kannammal Shanmuga Sundaram, would be with effect from the date she assumes charge of her office till 19th July, 2022.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 8th December 2020

No.K-11019/07/2020-US.II—In exercise of the power conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Rajesh Bindal, senior-most Judge of Common High Court for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from 09th December, 2020 consequent upon the retirement of Kumari Justice Gita Mittal, Chief Justice, Common High Court for the Union Territory of Jammu & Kashmir and Union Territory of Ladakh.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 31st December 2020

No. K. 11019/07/2020-US.I—In exercise of the power conferred by Article 223 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Vineet Kothari, senior-most Judge of the Madras High Court, to perform the duties of the office of Chief Justice of that High Court with effect from 01st January, 2021 consequent upon the retirement of Shri Justice Amreshwar Pratap Sahi, Chief Justice, Madras High Court till Shri Justice Sanjib Banerjee, Judge, Calcutta High Court assumes the charge of his office as the Chief Justice of the Madras High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K-13012/06/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Sanjay Yadav, Judge of the Madhya Pradesh High Court, as a Judge of the Allahabad High Court and to direct him to assume charge of his office in the Allahabad High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13013/01/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Arup Kumar Goswami, Chief Justice of Sikkim High Court, as Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Andhra Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13013/02/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Joymalya Bagchi, Judge of the Calcutta High Court, as a Judge of the Andhra Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Andhra Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13015/06/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Rajesh Bindal, Judge, Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh, as a Judge of the Calcutta High Court and to direct him to assume charge of his office in the Calcutta High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13019/01/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Vineet Kothari, Judge of the Madras High Court, as a Judge of the Gujarat High Court and to direct him to assume charge of his office in the Gujarat High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13020/03/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Ravi Vijaykumar Malimath, Judge of the Uttarakhand High Court, as a Judge of the Himachal Pradesh High Court and to direct him to assume charge of his office in the Himachal Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13021/02/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Pankaj Mithal, Judge of the Allahabad High Court, to be the Chief Justice of Common High Court for the Union Territory of Jammu and Kashmir and Union Territory of Ladakh with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No.K-13023/07/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Satish Chandra Sharma, Judge of the Madhya Pradesh High Court, as a Judge of the Karnataka High Court and to direct him to assume charge of his office in the Karnataka High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13025/03/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Mohammad Rafiq, Chief Justice of the Orissa High Court, as Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Madhya Pradesh High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13026/04/2020-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sanjib Banerjee, Judge of the Calcutta High Court, to be the Chief Justice of the Madras High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No.K.13027/01/2020-US.II—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Dr. Justice S. Muralidhar, Judge of the Punjab and Haryana High Court, to be the Chief Justice of the Orissa High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K.13031/01/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Jitendra Kumar Maheshwari, Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, as Chief Justice of the Sikkim High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Sikkim High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13032/02/2020-US.I—In exercise of the power conferred by clause (1) of Article 222 of the Constitution of India, the President, after consultation with the Chief Justice of India, is pleased to transfer Shri Justice Raghvendra Singh Chauhan, Chief Justice of the High Court for the State of Telangana, as Chief Justice of the Uttarakhand High Court and to direct him to assume charge of the office of the Chief Justice of the Uttarakhand High Court.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

No. K. 13036/02/2020-US.I—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Kumari Justice Hima Kohli, Judge of the Delhi High Court, to be the Chief Justice of High Court for the State of Telangana with effect from the date she assumes charge of her office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

The 7th January 2021

No. K. 13018/04/2020-US.II—In exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Sudhanshu Dhulia, Judge of the Uttarakhand High Court, to be the Chief Justice of the Gauhati High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAJINDER KASHYAP, Joint Secretary

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

The 11th February 2021

No. I-18011/06/2019-IPS.IV (Part)—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Rajasthan in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation in IPS
1.	Shri Shailendra Singh Indoliya, IPS (RJ: 2017)	28.08.2019
2.	Ms. Vandita Rana, IPS (RJ: 2017)	18.12.2019

A.K. SARAN, Director (Police)

No. I-18011/02/2021-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm Shri Varun Singla, IPS (HY:2017) in the Indian Police Service with effect from 18.12.2019.

A.K. SARAN, Director (Police)

No. I-18011/03/2021-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Bihar, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Shri Kiran Kumar Gorakh Jadhav, IPS (BH:2016)	19.12.2018
2.	Shri Vineet Kumar, IPS (BH:2017)	18.12.2019
3.	Shri Ambrish Rahul, IPS (BH:2017)	18.12.2019

A.K. SARAN, Director (Police)

The 12th February 2021

No. I-18011/11/2020-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm of Shri Prateesh Kumar, IPS (KL:2011), in the Indian Police Service with effect from 01.10.2014.

A.K.SARAN, Director (Police)

The 15th February 2021

No. I-18011/04/2021-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Sikkim, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Shri Manoj Tiwari, IPS (SK:2003)	01.09.2005
2.	Shri Siva Prasad Yellasiri, IPS (SK:2011)	06.12.2015
3.	Shri Manish Kumar Verma, IPS (SK:2015)	28.12.2017
4.	Shri V.G. Satish Pasumarthi, IPS (SK:2016)	29.08.2019

A.K. SARAN, Director (Police)

The 16th February 2021

No. I-18011/02/2017-IPS.IV—In exercise of powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President of India is pleased to confirm the following officers of the Indian Police Service borne on the cadre of Chhattisgarh, in the Indian Police Service with effect from the dates mentioned against their names:—

Sl. No.	Name of the IPS Probationer	Date of confirmation
1.	Shri Jitendra Shukla, IPS (CH:2013)	02.09.2015
2.	Shri Mohit Garg, IPS (CH:2013)	06.12.2015
3.	Shri Abhishek Pallava, IPS (CH:2013)	06.12.2015
4.	Shri Patel Divyangkumar Laljibhai, IPS (CH:2014)	22.12.2016

A.K. SARAN, Director (Police)

The 17th February 2021

No. I-18012/08/2020-IPS.I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Uttar Pradesh cadre, with effect from the dates indicated against each:—

S. No.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
1	Smt. Gita Singh (SL-14)	06.10.2016
2	Rajesh Kumar (SL-16)	03.05.2018

S. No.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
3	Sureshwar (SL-16)	03.05.2018
4	Sanjay Singh (SL-16)	03.05.2018
5	Smt. Rakesh Pushkar (SL-17)	13.08.2019
6	Kuldeep Narayan (SL-17)	13.08.2019
7	Surendra Bahadur (SL-17)	13.08.2019
8	Rajeev Narayan Mishra (SL-17)	13.08.2019
9	Bikash Kumar Baidya (SL-17)	13.08.2019

A.K. SARAN, Director (Police)

The 18th February 2021

No. I-18012/02/2021-IPS.I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Police Service allocated to the Sikkim Cadre, with effect from the date mentioned against each officer:—

S. No.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
01	S.T. Bhutia (SL-2010)	14.09.2012
02	Ms. Sarda Rani Lepcha (SL-2010)	14.09.2012
03	Bhim Kumar Tamang (SL-2012)	21.01.2015
04	Prawin Gurung (SL-2014)	13.03.2017
05	Thakur Thapa (SL-214)	13.03.2017
06	Tashi Wangyal (SL-2014)	13.03.2017
07	Hari Prasad Chettri (SL-2015)	19.10.2017
08	Hem Raj Rai (SL-2016)	22.01.2019
09	Pratap Pradhan (SL-2017)	26.04.2020

A.K. SARAN, Director (Police)

The 19th February 2021

No. I-18011/10/2017-IPS.IV—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm Shri Pandit Rajesh Uttamrao, IPS (OD:2007), in the Indian Police Service with effect from 18.08.2009.

A.K. SARAN, Director (Police)

No. I-18012/02/2020-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Police Service allocated to the Joint AGMUT Cadre in the Indian Police Service, with effect from the date indicated against his name:—

S. No.	NAMES OF THE OFFICERS (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
01	Lalhuliana Fanai (SL-2016)	19.01.2019
02	L.R. Dingliana Sailo (SL-2017)	25.03.2020
03	Thomas Zodingliana (SL-2017)	25.03.2020

A.K. SARAN, Director (Police)

No. I-18012/03/2021-IPS-I—In exercise of the powers conferred by Rule 3-A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following member of the Indian Police Service allocated to the Chhattisgarh Cadre in the Indian Police Service, with effect from the date indicated against his name:—

NAME OF THE OFFICER (S/SHRI/Ms.)	DATE OF CONFIRMATION
M.L. Kotwani (SL-2015)	25.10.2017

A.K. SARAN, Director (Police)

MINISTRY OF PERSONNEL, P.G. & PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 10th February 2021

CORRIGENDUM

No.14013/03/2017-AIS-III—In partial modification of the Notification No. 14013/03/2017-AIS-III dated 25th September, 2020 issued by the Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training), at Sl No. 7 and 11 of the said notification, the batch of Dr. Masood Akhtar and Shri Anand Kumar Sharma, borne on the State Cadre of Madhya Pradesh, may be read as “2001” in place of “2002”.

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secretary

No.14012/01/2020-AIS-III—In exercise of the powers conferred by rule 3-A of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm the following members of the Indian Administrative Service of 2017 batch in the Indian Administrative Service with effect from date (s) shown against their names:—

S. No.	Name of Officer (Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
1	Akash Chhikara	Chhattisgarh	28.08.2019
2	Chandrakant Verma	Chhattisgarh	28.08.2019
3	Mayank Chaturvedi	Chhattisgarh	28.08.2019
4	Rohit Vyas	Chhattisgarh	28.08.2019
5	Kunal Dudawat	Chhattisgarh	11.12.2019
6	Chandni Chandran	Tripura	28.08.2019
7	Tarit Kanti Chakma	Tripura	28.08.2019
8	Abhilash Mishra	Madhya Pradesh	28.08.2019
9	Anju Arun Kumar	Madhya Pradesh	28.08.2019
10	Ankita Dhakre	Madhya Pradesh	28.08.2019
11	Bharsat Yogesh Tukaram	Madhya Pradesh	28.08.2019
12	Divyank Singh	Madhya Pradesh	28.08.2019
13	Guru Prasad	Madhya Pradesh	28.08.2019
14	Kumar Satyam	Madhya Pradesh	28.08.2019
15	Parikshit Sanjayrao Zade	Madhya Pradesh	28.08.2019
16	Rahul Namdeo Dhote	Madhya Pradesh	28.08.2019
17	Rohit Sissoniya	Madhya Pradesh	28.08.2019
18	Sher Singh Meena	Madhya Pradesh	28.08.2019
19	Sonawane Saurabh Sanjay	Madhya Pradesh	28.08.2019
20	Vivek Kumar	Madhya Pradesh	28.08.2019
21	Krishna Kumar	Manipur	28.08.2019
22	Mahesh Hiralal Chaudhari	Manipur	28.08.2019

S. No.	Name of Officer (Shri/Smt)	Cadre	Date of Confirmation
23	Sharath Chandra Arroju	Manipur	28.08.2019
24	Avishyant Panda	Maharashtra	28.08.2019

SANDEEP KUMAR SINHA, Under Secretary

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS
[OFFICE OF DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)]

New Delhi, the 12th February 2021

No. DIII/460/CF-03/2019—The President of India is pleased to recognize the appointment of Mr. Shiv Siddhant Narayan Kaul as the Honorary Consul of the Republic of Korea in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Mr. Shiv Siddhant Narayan Kaul comprises the States of West Bengal, Odisha, Assam and Sikkim with the seat in Kolkata

GAURAV KUMAR THAKUR, Deputy Chief of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

New Delhi, the 18th December 2020

No. A-11017/1/2011-Estt.—In pursuance of Department of Personal and Training Order No.4/6/2018-CS1 (D) (Pt) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Ashok Kumar Dogra, a Selection Grade (Deputy Secretary) officer of the Central Secretariat Service, in Department of Financial Services, to Sr. Selection Grade (Director) in the Pay Matrix Level - 13 (Rs.1,23,100- 2,15,900) in Department of Financial Services, purely on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 11.12.2020 for a period upto 31.12.2021 or till the post is filled on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a. The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b. The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - c. The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - d. Any other connected court matter
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) Finalization of US and DS Select Lists in consonance with the Central Administrative Tribunal, Principal Bench's order dated 09.05.2011 passed in O.A. No. 3278/2010 filed by Ms. Garima Singh & Ors and Hon'ble Supreme Court's judgement dated 15.07.2014 in CA No. 6046- 6047 of 2004 filed by Shri Rohtas Bhanakar & Ors. vs UOI & Anr.
- (iv) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

No. A-11017/1/2011-Estt. In pursuance of Department of Personal and Training Order No.4/6/2018-CS1 (D) (Pt) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Sewa Ram Mehar, a Selection Grade (Deputy Secretary) officer of the Central Secretariat Service, in Department of Financial Services to Sr. Selection Grade (Director) in the Pay Matrix

Level - 13 (Rs.1,23,100- 2,15,900) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis with effect from the afternoon of 11.12.2020 for a period upto 31.12.2021 or till the post is filled on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions: —

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - (d) Any other connected court matter
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Director indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) Finalization of US and DS Select Lists in consonance with the Central Administrative Tribunal, Principal Bench's order dated 09.05.2011 passed in O.A. No. 3278/2010 filed by Ms. Garima Singh & Ors and Hon'ble Supreme Court's judgement dated 15.07.2014 in CA No. 6046- 6047 of 2004 filed by Shri Rohtas Bhanakar & Ors. vs UOI & Anr.
- (iv) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

No. A-11017/1/2011-Estt.(pt.)—In pursuance of Department of Personal and Training Order No. 4/5/2020-CS1 (D) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Kul Bhushan Nayyar, a Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) in Department of Financial Services, to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level-12 (Rs.78,800-2,09,200) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis w.e.f. the afternoon of 11.12.2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions: —

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - d) Any other connected court matter
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

No. A-11017/1/2011-Estt.(pt.)—In pursuance of Department of Personal and Training Order No. 4/5/2020-CS1 (D) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Promode Kumar Singh, a Grade-I (Under Secretary) officer of the

Central Secretariat Service (CSS) in Department of Financial Services, to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level - 12 (Rs.78,800-2,09,200) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis w.e.f. the afternoon of 11.12.2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No. 3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - (d) Any other connected court matter
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

No. A-11017/1/2011-Estt.(pt.)—In pursuance of Department of Personnel and Training Order No. 4/5/2020-CS1 (D) dated 11.12.2020, the President is pleased to appoint Shri A.K. Ghosh, a Grade-I (Under Secretary) officer of the Central Secretariat Service (CSS) in Department of Financial Services, to the Selection Grade (Deputy Secretary) in the Pay Matrix Level - 12 (Rs.78,800-2,09,200) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis w.e.f. the afternoon of 11.12.2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions: —

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:
 - (a) The SLP (C) No. 30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - (b) The SLP (C) No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
 - (c) The SLP Nos. 5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
 - (d) Any other connected court matter
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.
- (iii) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

The 22nd December 2020

No. A-11017/1/2011-Estt. (pt-2)—In pursuance of Department of Personnel and Training Order No.5/10/2020-CS.I (U) dated 14.12.2020, the President is pleased to appoint Smt. Saroj Devi Chauhan, Section Officer of the Central Secretariat

Service (CSS) in Department of Financial Services, as per existing vacancies, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level - 11 (Rs. 67,700 -2,08,700) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 14.12.2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earlier.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions: —

(i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- a) The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
- b) The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
- c) The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
- d) Any other connected court matter

(ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

(iii) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

No. A-11017/1/2011-Estt. (pt-2)—In pursuance of Department of Personal and Training Order No.5/10/2020-CS.I (U) dated 14.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Vinod Kumar, Section Officer of the Central Secretariat Service (CSS) in Department of Financial Services, as per existing vacancies, to the Grade-I (Under Secretary) of CSS in the Pay Matrix Level - 11 (Rs.67,700 -2,08,700) in Department of Financial Services purely on ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 14.12.2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions: -

(i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of the following Court Cases:

- a) The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other tagged cases before the Hon'ble Supreme Court;
- b) The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors.
- c) The SLP Nos.5724-5725/2019 in respect of S.N. Jasra & Raj Kumar against Delhi High Court's judgement dated 12.11.2018.
- d) Any other connected court matter

(ii) The ad hoc promotion shall not confer any right on the officer to continue in the grade of Under Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular promotion to the grade or to claim seniority in the grade.

(iii) The ad hoc promotion may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

RAGHAV BHATT, Deputy Director

The 11th January 2021

No. A-22012/9/2012-Estt.—In pursuance of Department of Personal and Training Order No.6/2/2020-CS.1(S) (Pt) dated 24.12.2020 and Department of Expenditure's Office Memorandum No. A-12026/02/2020-CAS dated 28.12.2020, the President is pleased to appoint Shri Shailendra Kumar, Assistant Section Officer of Central Secretariat Service (CSS) to the post of Section Officer in Department of Financial Services on ad-hoc basic with effect from the forenoon of 28th December, 2020 for a period upto 30.06.2021 or till the post is filled up on regular basis, or until further orders, whichever is the earliest.

2. The above ad-hoc promotion is subject to the following conditions:—

- (i) The ad hoc promotion will remain subject to the outcome of:
- The SLP (C) No.30621/2011 arising out of final judgement and order dated 15.07.2011 in CWP No.13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and other connected cases before the Hon'ble Supreme Court;
 - The SLP (C) No.31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgement dated 23.08.2017 in WP(C) No.3490/2010 filed by the All India Equality Forum & Others vs. UoI & Ors and other related court case in any competent court; and
 - Any other court case in a connected matter.
- (ii) The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in Select list for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS or for promotion in the next higher grade or for grant of NFS.
- (iii) The ad-hoc promotion may be terminated at any point of time without assigning any reason therefor.

S.K. JHA, Under Secretary

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY
(Department of Commerce)

New Delhi, the 12th February 2021

No. K-43011(16)/1/2021-SEZ (ADMIN.)—The President is pleased to appoint Shri Pramod Kumar as Assistant Development Commissioner, Noida Special Economic Zone, Noida under the Department of Commerce, (Group 'B'-Gazetted - Level-7 of Pay Matrix), on deputation basis for a period of three years w.e.f. 01.05.2019 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

SUMIT KUMAR SACHAN, Under Secretary

No. A.9/5/2014-SEZ—The President is pleased to appoint Shri Prakash Chand Upadhyay as Assistant Development Commissioner, Noida Special Economic Zone, Noida under the Department of Commerce, (Group 'B'-Gazetted - Level-7 of Pay Matrix), on deputation basis for a period of three years w.e.f. 30.04.2019 (Forenoon) or until further orders, whichever is earlier.

SUMIT KUMAR SACHAN, Under Secretary

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 2nd February 2021

No. 6/1737/1988/HRD-I(pt)/313—On attaining the age of superannuation, Shri R.P. Goyal, Additional DGFT in the Directorate General of Foreign Trade, stands retired from Government Service with effect from 31.01.2021(A/N).

SANJAY KUMAR TIWARI, Dy. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 12th January 2021

No. A-19011/21/2015-HR.II(pt).—In pursuance of DoPT's Order No. 36/02/2020-EO (SM-I) dated 11.01.2021, the President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Dharam Pal, IAS (UT:1988) as Additional Secretary in the Department of Fertilizers for a period of three months beyond 12.01.2021 i.e. upto 12.04.2021 or until further orders, whichever is earlier.

TILAK RAJ, Under Secretary

The 2nd February 2021

No. A-19011/05/2021-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training's Order No. 36/01/2021-EO (SM-I) dated 23.01.2021, the President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Chaturvedi, IAS (MP:87) as Secretary in the Department of Fertilizers w.e.f. 28.01.2021 (F/N) vice Chhabilendra Roul, IAS (PB: 85) consequent upon his superannuation on 31.12.2020 (AN).

TILAK RAJ, Under Secretary

MINISTRY OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(Department of Biotechnology)

New Delhi-110003, the 1st February 2021

No. A-31013/01/2020-Estt.—Consequent upon successful completion of her probation period, the President is pleased to confirm Dr. Vandana Prajapati, a Group 'A' Scientific Officer working in the Department of Biotechnology as Scientist 'C' (Level -11 of the 7th CPC) with effect from 24.06.2020.

BANUMATHI G, Deputy Secretary

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110001, the 11th February 2021

No. A-12025/107/2019-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Niraj Kumar to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the Forenoon of 20th September, 2019 until further orders. Dr. Niraj Kumar is posted as Medical Officer under Ram Manohar Lohia Hospital, Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/143/2020-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Mansi Verma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs.15600-39100 + Grade Pay Rs.5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 18th September, 2020 until further orders. Dr. Mansi Verma is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. She will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

No. A.12025/237/2020-CHS.I—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Ankit Sharma to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay PB-3 [Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs. 5400] (pre-revised) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 02nd September, 2020 until further orders. Dr. Ankit Sharma is posted as Medical Officer under CGHS Delhi. He will be on probation for a period of two years.

K. VENKATESAN, Under Secretary

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY & DAIRYING
(Department of Fisheries)

New Delhi, the 4th February 2021

No. 2-21/2016-Admn.V—The President is pleased to promote Sh. Ayoob.A.E., Junior Fishing Gear Technologist to the post of Fishing Gear Technologist, (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Level-10 (Rs. 56100-177500/-) (pre-revised: PB-3 (Rs.15600-39100/-) + GP-Rs. 5400) in Fishery Survey of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries with effect from 20-01-2020. The appointment shall be subject to outcome of decision of Supreme Court of India in SLP(C) No. 30621/2011.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

No. 2-25/2017-Admn.V—The President is pleased to promote Sh. Mahesh Kumar Farejiya, Director (Engineering) to the post of Deputy Director General (Engineering), (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Fishery Survey of India in Level-13 (Rs.123100-215900/-) (pre-revised: PB-4 (Rs.37400-67000/-) + GP-Rs. 8700/- under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries with effect from 17-10-2018.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

No. 2-5/2019-Admn.V—The President is pleased to promote Sh. S.K. Jaiswal, Mechanical Marine Engineer to the post of Director (Engineering), (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Level-12(Rs.78800-209200/-) (pre-revised: PB-3 (Rs.15600-39100/- + GP- Rs. 7600) in Fishery Survey of India, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries with effect from 30-07-2020.

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

No. 3-27/2019-Admn.V—The President is pleased to promote Sh. K. Manimaran, Instructor (Marine Engineering) to the post of Senior Instructor (Marine Engineering), (General Central Service, Group 'A' Gazetted, Non-Ministerial) in Central Institute of Fisheries Nautical & Engineering Training in Level-10 (Rs.56100-177500/-) pre-revised: PB-3 (Rs. 56100-39100/-) + GP-Rs. 5400/- under the Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Department of Fisheries with effect from 29-12-2020 (F.N.).

KHAM KHAN SUAN, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
(Heavy Water Board)

Mumbai- 400094, the 15th January 2021

No. HWB/R/1(16)-Baroda/2021/277—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. Trupti S. Rane, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in Level 8 of Pay matrix in Heavy Water Plant, Baroda from the forenoon of 21.12.2020 until further orders.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 20th January 2021

No. HWB/R/1(16)-Kota/2021/365—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Kum. Saroj Shridhar Kadam, Assistant Accountant, BARC, Mumbai to officiate as Assistant Accounts Officer in Level 8 of Pay matrix in Heavy Water Plant, Kota from the forenoon of 26.12.2020 until further orders.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

No. HWB/R/1(16)-Manuguru/2021/366—Chief Executive, Heavy Water Board appoints Smt. M. Uma Mageswari, Assistant Accountant, BARCF, NRB, Kalpakkam to officiate as Assistant Accounts Officer in Level 8 of Pay matrix in Heavy Water Plant, Manuguru from the forenoon of 28.12.2020 until further orders.

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

The 27th January 2021

No. HWB/R/26(2)/460—The President is pleased to appoint the following Group/A Officers of Heavy Water Board/Heavy Water Plant (Manuguru/Kota/Baroda/Talcher/Thal), Department of Atomic Energy, Mumbai in a substantive capacity with effect from the date and in the post mentioned against each:—

Sr. No.	Name of the Officers (Dr./S/Shri./Smt./Kum.)	Present grade	Unit HWB/HWPs	Grade in which appointed substantively	Confirmation w.e.f
1.	Rohan Bajpai	SO/C	HWP (B)	SO/C	01.08.2020
2.	Bathula Siva Prasad	SO/D	HWP (B)	SO/C	01.08.2018
3.	Kalpaj Subhedar	SO/C	HWP (B)	SO/C	01.08.2018

Sr. No.	Name of the Officers (Dr./S/Shri./Smt./Kum.)	Present grade	Unit HWB/HWPs	Grade in which appointed substantively	Confirmation w.e.f
4.	Mudit Kansal	SO/D	HWP (K)	SO/C	01.08.2017
5.	Dori Lal	SO/D	HWP (K)	SO/C	01.08.2017
6.	Rishi Yadav	TO/D	HWP (K)	TO/C	06.09.2012
7.	Harish Verma	TO/D	HWP (K)	TO/C	13.09.2012
8.	Asad Mahmood	SO/C	HWP (K)	SO/C	01.08.2018
9.	Rajendra Kumar Senapati	SO/C	HWP (K)	SO/C	01.08.2018
10.	Molabanti Surya Prakash	SO/D	HWP (M)	SO/C	01.08.2014
11.	Simhachalam Dollu	TO/D	HWP (M)	TO/C	20.09.2012
12.	Dr. Pragathi M.	SO/D	HWP (M)	SO/C	30.07.2015
13.	Kongara Raja Rao	SO/D	HWP (M)	SO/C	01.08.2013
14.	Ajay Shivshankar Yadav	TO/D	HWP (M)	TO/C	16.12.2012
15.	Raju Sunkari	TO/D	HWP (M)	TO/C	23.12.2012
16.	Padmalatha Pirangi	TO/D	HWP (M)	TO/C	25.04.2015
17.	Ranjeet Singh	SO/C	HWB	SO/C	01.08.2019
18.	Snigdha Chakraborty	SO/C	HWP (Tal)	SO/C	01.08.2018
19.	K.C. Nayak	SO/E	HWP (Tal)	SO/C	01.09.2012
20.	Anupreet Choubhey	SO/C	HWP (Thal)	SO/C	01.08.2019

G. SELVAKUMAR, Administrative Officer-III

MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 11th February 2021

No. ERB-I/2020/2/2—Shri Sanjay Sehgal, Principal Private Secretary (PPS) Grade Officer of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) has been promoted to Senior Principal Private Secretary (Sr. PPS) Grade [PB-3, Rs. 15,600-39,100/- + Grade Pay Rs. 7,600(pre-revised)] of Railway Board Secretariat Stenographers' Service (RBSSS) with effect from 01.02.2021(F.N.).

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

No. E(O)III-2021/RN/07—Consequent upon his permanent absorption in Rail Vikas Nigam Limited (RVNL), Shri Goutam Roy, an officer of the Indian Railway Service of Electrical Engineers (DOB: 09.09.1962; DITS: 10.07.2007; Lien: ER), has resigned from Railway service with effect from 12.10.2020 (FN).

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary

The 12th February 2021

No. E(O)III-2021/RN/14—Consequent upon her permanent absorption in Mumbai Railway Vikas Corporation (MRVC), Smt. Smriti Verma, an officer of the Indian Railway Accounts Service (DOB: 01.03.1965; DITS: 06.03.1989; Lien: CR), has resigned from Railway service with effect from 02.02.2021.

SUSHANT KUMAR MISHRA, Secretary